अध्याय - 25

उपहार की अनुमति

कुछ पट्टे अप्रतिबंधित होते हैं अर्थात पट्टाधारक के अधिकारों को सौंपने अथवा अंतरण से पूर्व किसी पट्टाधारक की पूर्व अनुमति अपेक्षित नहीं होती है। तथापि, प्रतिबंधित पट्टे के मामले में, पट्टाधारक द्वारा पट्टाधारण के अधिकारों को सौंपने अथवा अंतरित करने के लिए पट्टाधारक की अनुमति एक पूर्व-शर्त होती है। चूंकि, उपहार संपत्ति हस्तांतरण का एक तरीका होता है, भूमि और विकास कार्यालय द्वारा पट्टेदारों अथवा उनके विधिवत अधिकृत अटार्नी को पट्टाधारक की अनुमति प्रदान की जाएगी।

2. अनुमति मांगने और प्रदान करने की प्रक्रियाः

भूमि और विकास कार्यालय द्वारा पट्टेदारों अथवा उनके विधिवत अधिकृत अटार्नी द्वारा संपत्ति के उपहार की अनुमति मांगने और उसे प्रदान करने की प्रक्रिया वही होगी, जो संपत्ति की बिक्री के लिए अनुमति प्रदान करने के मामले में होती है।

3. बगैर अनुमति के उपहारः

कोई भी पट्टेदार, पट्टेधारक की अनुमति के बिना पट्टाधारण में अपना अधिकार हस्तांतरित नहीं करेगा/करेगी, जहां ऐसी अनुमति अपेक्षित है। चूंकि उपहार संपत्ति हस्तांतरण का एक तरीका है, बगैर अनुमति दिया गया उपहार पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होगा। ऐसे उल्लंघन को गैर-अर्जित वृद्धि, यदि वसूली योग्य हो, की शास्ति के भुगतान पर विनियमित किया जा सकता है। शास्ति की दरें वही होंगी जो बगैर अनुमति के बिक्री के मामले में हैं।

4. उपहार, जब इसे गैर-अर्जित वृद्धि की वसूली के लिए हस्तांतरण नहीं माना जाताः

संपत्ति के उपहार के निम्नलिखित मामलों का हस्तांतरण नहीं माना जाएगा और इनमें न तो गैर-अर्जित वृद्धि वसूलीयोग्य होगी और न ही भूमि का किराया संशोधित होगाः-

(i) किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के किसी सदस्य को नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से संपत्ति का उपहार;

(ii) किसी धर्मार्थ संस्थान को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रदान कराने की शर्त पर उपहार, कि उसे उपहार में संपत्ति को स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(iii) किसी धर्मार्थ संस्थास को इस आश्य का प्रमाणपत्र प्रदान कराने की शर्त पर उपहार, कि उसे उपहार में संपत्ति को स्वीककार करने पर कोई आपत्ति नहीं है।